माननीय अध्यक्ष महोदय,

आज इस सदन में हमारी सरकार का तीसरा बजट प्रस्तुत करते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है। कई मायने में यह एक अनूठा बजट है। भारत सरकार की तर्ज पर हमने इस बार बजट अनुमान से पूर्व सदन के समक्ष ''आर्थिक सर्वेक्षण'' प्रस्तुत किया है। **राज्य गठन के पश्चात् पहली बार बजट अनुमान में 20 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जबकि विगत वर्षों में यह वृद्धि 10 प्रतिशत से कम ही रहा है**। सामाजिक क्षेत्र के व्यय में वर्ष 2005–06 की तुलना में 24 प्रतिशत तथा पूंजीगत व्यय में 40 प्रतिशत की वृद्धि प्रदेश के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। **हम आगामी वर्ष से कुछ क्षेत्रों के लिए ''परिणामी बजट'' भी प्रस्तुत करने जा रहे हैं। बजट अनुमान में इस अभूतपूर्व वृद्धि के बावजूद पहली बार राजस्व आधिक्य का बजट अनुमान प्रस्तुत किया जा रहा है** अर्थात् ऋण की शतप्रतिशत राशि पूंजीगत आस्तियाँ निर्माण में उपयोग होगी। **सकल वित्तीय घाटा को सकल घरेलू उत्पाद के औसतन 5 प्रतिशत से कम किया जाकर 3 प्रतिशत पर लाया गया है**।

2. राज्य सरकार द्वारा संसाधनों में वृद्धि बाबत् किये जा रहे प्रयासों के बेहतर परिणाम सामने आये हैं। राज्य के कर राजस्व में गत वर्ष 25 प्रतिशत की वृद्धि परिलक्षित हुई जो कि विगत वर्षो की तुलना में सर्वाधिक है। **राजस्व में निरंतर वृद्धि होने के कारण विगत चार वर्षो में राज्य की आयोजना सीमा 1312 करोड़ से बढ़कर 4520 करोड़ हो गई है**। मुझे सदन को यह बताते हुये हर्ष हो रहा है कि वर्ष 2004–05 में बेहतर वित्तीय प्रबंधन के कारण भारत सरकार द्वारा लागू किए गए ''मध्यावधि राजकोषीय सुधार कार्यक्रम'' के तहत छत्तीसगढ़ को 75.77 करोड़ की प्रोत्साहन राशि प्राप्त हुई है।

3. अध्यक्ष महोदय, चालू वित्तीय वर्ष का बजट प्रस्तुत करते समय मैंने सदन को यह आश्वासन दिया था कि सदन के समक्ष शीघ्र ही ''राजकोषीय उत्तरदायित्व विधेयक'' प्रस्तुत करूँगा। **तदनुसार सितम्बर, 2005 से यह अधिनियम लागू किया गया है एवं बारहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुरूप राज्य को ''ऋण समेकन तथा राहत योजना'' का लाभ मिलना प्रारंभ हो गया है। इस योजना के तहत् प्राप्त होने वाली ऋण राहत राशि से विकास मूलक कार्यों हेतु अधिक धनराशि उपलब्ध होगी**।

4. छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंध अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप वर्ष 2006–07 के बजट के साथ वृहद आर्थिक रूपरेखा विवरण, मध्यकालिक राजकोषीय नीति विवरण तथा राजकोषीय नीति युक्ति विवरण एवं इससे संबंधित प्रकटीकरण सदन के समक्ष प्रस्तुत किए जा रहे हैं। **इससे राज्य की नीतिगत दिशायें तथा आर्थिक स्थिति का विस्तृत विवरण आम जनता को उपलब्ध हो सकेगा एवं वित्तीय प्रबंधन के क्षेत्र में अधिक पारदर्शिता आयेगी**।

5. अध्यक्ष महोदय, सदन को ज्ञात होगा कि हमारी सरकार ने वर्ष 2004–05 में ''विधायक निधि योजना'' को पुनर्जीवित किया था। वर्ष 2005–06 के बजट में हमने विधायक निधि की राशि 30 लाख से बढ़ाकर 40 लाख किया था। **मुझे यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि जनप्रतिनिधियों की आकांक्षाओं के अनुरूप विधायक निधि की राशि अब 40 लाख से बढ़ाकर 50 लाख की जा रही है**। इस राशि से प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में 35 लाख तक के कार्यों के प्रस्तावों को माननीय विधायकगण की अनुशंसा पर स्वीकृत किए जाएंगे तथा 15 लाख तक के कार्य जनप्रतिनिधियों की अनुशंसा एवं प्रभारी मंत्री के अनुमोदन उपरान्त स्वीकृत किए जाएंगे।

आर्थिक स्थिति

6. अध्यक्ष महोदय, अब मैं राज्य की आर्थिक स्थिति पर प्रकाश डालना चाहुँगा। वर्ष 2004–05 में प्रचलित भावों पर छत्तीसगढ़ राज्य का सकल घरेलू उत्पाद 40,220 करोड़ है, जो कि वर्ष 2003–04 के 38,610 करोड़ की तुलना में 4.17 प्रतिशत अधिक है। विगत वर्षों की तुलना में यह वृद्धि दर अपेक्षाकृत कम रही है। **इसका मुख्य कारण असामान्य वर्षा से कृषि उत्पादन में उल्लेखनीय गिरावट आना है**। प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2003–04 में 14,963 रुपए थी, जो वर्ष 2004–05 में 15,073 रुपये हो गई है।

6.1 वर्ष 2003–04 की तुलना में वर्ष 2004–05 में प्रायमरी सेक्टर में 10.33 प्रतिशत की कमी आयी है, लेकिन सेकेंडरी सेक्टर में 15.66 प्रतिशत तथा टर्शरी सेक्टर में 9.13 प्रतिशत की वृद्धि परिलक्षित हुई है। **इस प्रकार औद्योगिक उत्पादन तथा सेवा क्षेत्र में वृद्धि दर उत्साहवर्धक रही**।

6.2 अध्यक्ष महोदय, आगामी वर्ष दसवीं पंचवर्षीय योजना का अंतिम वर्ष है। **योजना अवधि में सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि का निर्धारित लक्ष्य 6.10 प्रतिशत के विरूद्ध विगत तीन वर्षों में राज्य की औसत उपलब्धि 6.79 प्रतिशत रही है**। कृषि क्षेत्र के लिए निर्धारित 3 प्रतिशत लक्ष्य के विरूद्ध उपलब्धि 2.29 प्रतिशत, विनिर्माण क्षेत्र में 7.5 प्रतिशत लक्ष्य के विरूद्ध 14.45 प्रतिशत एवं सेवा क्षेत्र में 7 प्रतिशत लक्ष्य के विरूद्ध उपलब्धि 6.47 प्रतिशत रही है।

6.3 वर्ष 2004–05 की तुलना में वर्ष 2005–06 के आर्थिक सूचकांक में उल्लेखनीय सुधार की संभावना है। अच्छी वर्षा के कारण कृषि उत्पादन में 3.8 प्रतिशत वृद्धि अनुमानित है, इसी प्रकार विनिर्माण क्षेत्र में 8.2 प्रतिशत वृद्धि संभावित है। **उपरोक्त स्थिति को देखते हुए यह अनुमान लगाया गया है**

कि वर्ष 2005–06 में प्रदेश के सकल घरेलू उत्पाद में गत वर्ष की तुलना में लगभग 10 प्रतिशत वृद्धि होगी, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर 8.1 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित की गई है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस गति से हम दसवीं पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि में सकल घरेलू उत्पाद के निर्धारित लक्ष्य से अधिक उपलब्धि प्राप्त करने में सफल रहेंगे।

मानव संसाधन विकास

7. अध्यक्ष महोदय, मेरा यह मानना है कि किसी भी राज्य के विकास का सबसे महत्वपूर्ण सूचक मानव संसाधन विकास होता है। गत वर्ष के बजट में हमने मानव संसाधन विकास पर विशेष जोर दिया था, लेकिन गरीबी रेखा से नीचे जीवन–यापन करने वालों की बहुलता तथा राज्य में शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाओं के स्तर के मद्देनजर हमें इस दिशा में निरन्तर प्रयास करने होंगे। इसके लिए हमने आगामी बजट में अनेक ठोस प्रावधान किए हैं।

शिक्षा

8. **शिक्षा के विकास हेतु वर्ष 2006–07 के बजट में 1645.62 करोड़ का प्रावधान रखा गया है, जो कि चालू वर्ष की तुलना में 20 प्रतिशत अधिक है।**

8.1 प्राथमिक शिक्षा के विस्तारीकरण के लिए प्रदेश में प्रतिवर्ष छः वर्ष की आयु प्राप्त करने वाले लगभग 5 लाख बच्चों को प्राथमिक शिक्षा की परिधि में लाना होगा। **इसके लिए आगामी वित्तीय वर्ष में सर्वशिक्षा अभियान के अंतर्गत 120 नवीन प्राथमिक स्कूल तथा 1200 पूर्व माध्यमिक स्कूल स्थापित किए जायेंगे। इस वर्ष लगभग 40,000 शिक्षाकर्मी नियुक्त किए**

जा रहे हैं तथा आगामी वर्ष भी 10,000 से अधिक शिक्षाकर्मियों की नियुक्ति की जाएगी। इसके अतिरिक्त 4000 नवीन शाला भवनों का निर्माण किया जाएगा। इस योजना के संचालन हेतु राज्यांश के रूप में 100 करोड़ का बजट प्रावधान रखा गया है।

8.2 विगत कई वर्षों से भारत सरकार तथा राज्य सरकारों द्वारा डी.पी.ई.पी. एवं सर्वशिक्षा अभियान के माध्यम से प्राथमिक तथा पूर्व माध्यमिक शिक्षा के विकास पर ध्यान केन्द्रित किया गया है। **अध्यक्ष महोदय, पहली बार हमारी सरकार द्वारा माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के विस्तार को आगामी वर्ष के बजट में विशेष महत्व दिया गया है एवं इस हेतु 240 माध्यमिक स्कूलों का हाई स्कूलों में उन्नयन तथा 127 हाई स्कूलों का हायर सेकेंडरी स्कूलों में उन्नयन बाबत् 28.95 करोड़ का प्रावधान रखा गया है**। इसके साथ–साथ 35 हाई स्कूल एवं 15 हायर सेकेंडरी स्कूल के भवन निर्माण हेतु 13.4 करोड़ तथा इन स्कूलों में फर्नीचर एवं प्रयोगशाला उपकरणों हेतु 6.50 करोड़ तथा शिक्षा संबंधी उपग्रह एजुसेट के माध्यम से शिक्षा हेतु 1.24 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

8.3 प्रदेश के लगभग 60 लाख निरक्षरों को साक्षरता की परिधि में लाने के लिए सम्पूर्ण साक्षरता तथा उत्तर साक्षरता कार्यक्रम 9 जिलों में संचालित है। इन नव साक्षरों के लिए प्रथम चरण में 5 जिले क्रमशः राजनांदगांव, सरगुजा, जशपुर, कोरिया एवं कबीरधाम में ''सतत शिक्षा'' कार्यक्रम प्रारम्भ किया जा रहा है।

8.4 राज्य के सुदूर अंचलों में उच्च शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा के विस्तार तथा गुणात्मक सुधार लाने हेतु भी कई प्रावधान किए गए हैं। **अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों, बीजापुर, केशकाल, अंतागढ़, लखनपुर, उदयपुर, डोंडी एवं डोंडीलोहारा में नये महाविद्यालय, जांजगीर–चांपा में महिला**

<u>महाविद्यालय एवं मनेन्द्रगढ़, कोंटा, भानुप्रतापुर, कोंडागांव, वाड्रफनगर, सूरजपुर, सामरी, कुनकुरी, तमनार एवं तिल्दानेवरा में नये औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थायें स्थापित करने हेतु 6.91 करोड़ का प्रावधान किया गया है</u>। अध्यक्ष महोदय, रायपुर इंजीनियरिंग कॉलेज को एन.आई.टी. का दर्जा प्राप्त हो गया है। इसके मद्देनजर शैक्षणिक सत्र 2006–07 से **<u>रायपुर में एक नवीन शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय की स्थापना के लिए 6 करोड़ का प्रावधान रखा गया है</u>**। 22 भवनविहीन महाविद्यालयों के भवन निर्माण हेतु 3 करोड़ एवं भिलाई, माना, कोरबा तथा रायगढ़ आई.टी.आई. को ''सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस'' के रूप में विकसित करने बाबत् बजट में 6.40 करोड़ का प्रावधान रखा गया है।

8.5 विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी क्षेत्र में अनुसंधान तथा इसके प्रयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से रायपुर में एक अत्याधुनिक अनुसंधान प्रयोग शाला स्थापित करने हेतु 5 करोड़ का प्रावधान है। प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में नवीन प्रौद्योगिकी का लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से 8 ग्रामों को ''प्रौद्योगिक ग्राम'' के रूप में विकसित किया जाएगा।

<u>स्वास्थ्य</u>

9. अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने विगत 2 वर्षों से स्वास्थ्य सेवा को बेहतर बनाने की दिशा में लगातार प्रयास किया है एवं इसके अच्छे परिणाम सामने आये हैं। लेकिन स्वास्थ्य के विभिन्न सूचकांक में छत्तीसगढ़ अभी भी राष्ट्रीय औसत से काफी पीछे है। इस स्थिति से उबरने के लिए हमने आगामी वर्ष के बजट में जहां एक ओर मानव संसाधन की कमी की पूर्ति करने का प्रयास किया है, वहीं अधोसंरचना विकास को भी महत्व दिया है। **<u>स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए इस बजट में कुल 551.43 करोड़</u>**

उपलब्ध कराया जा रहा है, जो कि चालू वित्तीय वर्ष की तुलना में 39 प्रतिशत अधिक है।

9.1 माननीय सदस्यगणों को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि गत वर्ष बजट में 874 नये उप स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना के साथ–साथ हमने राष्ट्रीय मानको को प्राप्त कर लिया है। **इस दिशा में आगे बढ़ते हुए प्रदेश में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों को राष्ट्रीय मानकों के समकक्ष लाने हेतु वर्ष 2006–07 के बजट में 200 नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा 16 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित करने हेतु 38.70 करोड़ का प्रावधान किया गया है**।

9.2 अध्यक्ष महोदय, **स्वास्थ्य अधोसंरचना की कमी की पूर्ति के लिए आगामी बजट में 500 उप स्वास्थ्य केन्द्र भवन, 39 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन तथा 14 सामुदायिक केन्द्र भवन निर्माण बाबत् 29.66 करोड़ का प्रावधान किया गया है**। प्रदेश में चिकित्सा सेवा स्तर को सुदृढ़ बनाने के लिए प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में 1 के स्थान पर 2 चिकित्सा अधिकारियों की पदस्थापना का निर्णय लिया गया है एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन के साथ–साथ चिकित्सकों एवं कर्मचारियों को परिसर में आवासीय सुविधा उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे चिकित्सकों की उपलब्धता सुनिश्चित होगी।

9.3 ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति जागृति लाने के उद्देश्य से ''स्वस्थ पंचायत'' योजना लागू की जाएगी, जिसके अंतर्गत सर्वोत्तम स्वास्थ्य योजना के क्रियान्वयन करने वाली पंचायतों को पुरस्कृत किया जाएगा।

9.4 **प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा के विस्तार के लिए जगदलपुर में नवीन चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना हेतु 16.50 करोड़ का प्रावधान किया गया है**। रायपुर चिकित्सा महाविद्यालय में केंसर के अत्याधुनिक ईलाज की

सुविधा उपलब्ध कराने के लिए ''लीनियर एक्सीलरेटर मशीन'' की स्थापना हेतु 5 करोड़ तथा ''कार्डियोलॉजी'' विभाग की स्थापना हेतु 5 करोड़ का प्रावधान रखा गया है।

9.5 यूरोपियन कमीशन द्वारा छत्तीसगढ़ को ''राज्य साझेदारी कार्यक्रम'' हेतु चयन किया गया है, **जिसके अंतर्गत राज्य को शतप्रतिशत अनुदान के रूप में आगामी 5 वर्षों में 450 करोड़ प्राप्त होगा**। वर्ष 2006–07 में इस बाबत् 55 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है। यह कार्यक्रम मुख्यतः स्वास्थ्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में क्षमता विकास पर केन्द्रित है।

अनुसूचित जाति/जनजाति विकास

10. अध्यक्ष महोदय, प्रदेश के अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के सर्वांगिण विकास हेतु शिक्षा का विस्तार हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। प्रदेश की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए आश्रम शालायें अपेक्षाकृत अधिक उपयोगी सिद्ध हुई है। इसे ध्यान में रखते हुए चालू वर्ष के बजट में अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में आश्रम शाला स्थापना को प्राथमिकता दी गई थी। **इसी कड़ी में वर्ष 2006–07 के बजट में अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए 128 नवीन आश्रम शाला तथा 113 प्री–मेट्रिक एवं 25 पोस्ट मेट्रिक नवीन छात्रावास स्थापना हेतु 11.48 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त वर्तमान में संचालित आश्रम एवं छात्रावासों में 1775 सीटों की वृद्धि की जाएगी**।

10.1 प्रदेश के 42 भवनविहीन शिक्षण संस्थाओं में भवन निर्माण हेतु 7 करोड़ एवं 13 छात्रावास भवन के निर्माण हेतु 3.66 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

10.2 ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक तथा धार्मिक कार्य हेतु समुचित भवन उपलब्ध कराने के लिए प्रथम चरण में अनुसूचित जाति बाहुल्य 315 ग्रामों में मंगल भवन का निर्माण किया जाएगा एवं इस हेतु 11 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है।

10.3 समाज के पिछड़े वर्गों के हितों के संरक्षण हेतु राज्य में ''पिछड़ा वर्ग आयोग'' का गठन किया गया है।

महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण

11. अध्यक्ष महोदय, एकीकृत बाल विकास परियोजना के अंतर्गत योजना का विस्तार करते हुए राज्य में 6 नवीन बाल विकास परियोजना तथा 9148 आंगनबाड़ी केन्द्रों की स्थापना की गई है। इससे राज्य के लगभग 10 लाख महिला एवं बच्चों को इस योजना का लाभ मिल सकेगा। **आंगनबाड़ी भवनों की कमी की पूर्ति हेतु प्रतिवर्ष बजट में लगभग 700 आंगनबाड़ी भवनों के निर्माण बाबत् प्रावधान किया जाता रहा है। आगामी वर्ष बजट में इसमें उल्लेखनीय वृद्धि करते हुए 2700 आंगनबाड़ी भवन निर्माण हेतु 42.25 करोड़ का प्रावधान किया गया है**।

11.1 निःशक्तजनों को आत्मनिर्भर बनाने एवं सामान्य शिक्षा देने तथा आधुनिक ब्रेल पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आगामी वर्ष के बजट में 29 लाख का प्रावधान रखा गया है।

पेयजल

12. **अध्यक्ष महोदय, ग्रामीण अंचलों में शुद्ध पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने हेतु चालू वर्ष 165 करोड़ बजट प्रावधान के विरूद्ध इस बजट में**

219 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जो कि चालू वर्ष की तुलना में 33 प्रतिशत अधिक है। इसके अंतर्गत 10,000 अतिरिक्त बसाहटों में पेयजल सुविधा उपलब्ध करायी जाएगी। प्रदेश के सुदूर एवं दुर्गम अंचलों में नलकूप खनन हेतु 3 ट्रेक्टर माउन्टेड ड्रीलिंग मशीन एवं 2 हाइड्रो फ्रेक्चरिंग यूनिट हेतु 4.25 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

12.1 प्रदेश के 10 नगरीय क्षेत्र क्रमशः आरंग, बलौदा बाजार, सिमगा, डोंगरगढ़, धमतरी, भाटापारा, बीरगांव, पत्थलगांव, जगदलपुर एवं कसडोल में जल प्रदाय योजनाओं का विस्तार करने के लिए 4.75 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

12.2 सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में आगामी वर्ष 3 लाख व्यक्तिगत शौचालय निर्माण किए जाएंगे, जिसके लिए 43 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है।

खेल एवं युवक कल्याण

13. खेल गतिविधियों के विकास हेतु वर्ष 2006–07 के बजट में 20.76 करोड़ का प्रावधान रखा गया है, जो चालू वर्ष की तुलना में 37 प्रतिशत अधिक है। रायपुर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण हेतु आगामी वर्ष 15 करोड़ उपलब्ध कराया जा रहा है। स्वर्गीय महाराजा प्रवीरचन्द भंजदेव की स्मृति में तीरंदाजी के क्षेत्र में पुरस्कार देने हेतु भी बजट प्रावधान किया गया है।

संस्कृति एवं पर्यटन

14. अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ की बहु आयामी संस्कृति के संरक्षण हेतु राज्य शासन प्रतिबद्ध है। इस हेतु राजिम महोत्सव, बिलासा महोत्सव, चक्रधर समारोह, मल्हार उत्सव आदि का आयोजन किया जा रहा है। आगामी वर्ष

सांस्कृतिक विकास हेतु बजट में 40 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए इस मद् में 8.48 करोड़ का प्रावधान रखा गया है।

14.1 अध्यक्ष महोदय, पर्यटकों को बुनियादी सुविधा उपलब्ध कराने हेतु 21 हाईवे मोटल्स निर्माण कराए जा रहे हैं। प्रत्येक जिले में पर्यटन केन्द्रों का विकास तथा पर्यटन सूचना केन्द्रों की स्थापना हमारी प्राथमिकता है। पर्यटन विकास हेतु आगामी वर्ष 27.30 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जो चालू वर्ष की तुलना में 62 प्रतिशत अधिक है।

कृषि एवं पशुपालन

15. कृषि उत्पादकता वृद्धि में प्रमाणित बीज की महत्वपूर्ण भूमिका है। कृषकों को उच्च गुणवत्ता के बीज की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए बजट में ''बीज अनुदान योजना'' के अंतर्गत 1 करोड़ एवं छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम को 1 करोड़ अनुदान बाबत् प्रावधान किया गया है।

15.1 **किसानों को सुनिश्चित सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आगामी 3 वर्षों में 1 लाख नवीन कृषि पंपों को विद्युतीकृत किया जाएगा। प्रथम चरण में इस हेतु वर्ष 2006–07 के बजट में 25,000 पंपों को विद्युतीकृत करने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल को अनुदान के रूप में 50 करोड़ का प्रावधान रखा गया है।**

15.2 प्रदेश के आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों के ग्रामीणों को आय के अतिरिक्त स्त्रोत उपलब्ध कराने के लिए उन्नत नस्ल के कुक्कुट पालन, सुकर पालन एवं बकरी पालन योजनायें लागू की जाएगी, जिसके लिए बजट में 2.5 करोड़ का प्रावधान किया गया है। छत्तीसगढ़ में मत्स्य पालन की अपार संभावनायें है।

इसका अधिकाधिक लाभ प्राप्त करने हेतु प्रशिक्षण एवं अध्ययन भ्रमण हेतु बजट प्रावधान किया गया है।

सिंचाई

16. अध्यक्ष महोदय, यद्यपि राज्य निर्माण के पश्चात् हमने सिंचाई क्षमता में लगभग 6 प्रतिशत की वृद्धि हासिल की है, फिर भी सिंचाई की उपलब्धता में क्षेत्रीय असंतुलन हमारे लिए एक बड़ी चुनौती है। **इसके मद्देनजर बजट में प्रदेश के पिछड़े अनुसूचित जाति/जनजाति बाहुल्य जिले, बस्तर, दंतेवाड़ा, सरगुजा, कोरिया एवं जशपुर में 5 मध्यम एवं 71 लघु सिंचाई परियोजनायें सम्मिलित की गई है**।

16.1 वर्ष 2006–07 में चालू सिंचाई परियोजनाओं के पूर्ण होने से 76,000 हेक्टेयर में अतिरिक्त सिंचाई क्षमता निर्मित होगी। इसके अतिरिक्त नवीन कार्य के रूप में 7 मध्यम परियोजनायें क्रमशः सरगुजा जिले की कासीसोज एवं खूटपाली, बस्तर जिले की पीढ़ापाल, दंतेवाड़ा जिले की भीमसेन घाट जलाशय, जशपुर जिले की ईब व्यपवर्तन, राजनांदगांव जिले की बनियाटोला जलाशय एवं रायगढ़ जिले की सपनई परियोजना, 118 लघु सिंचाई योजनायें तथा 89 एनीकट निर्माण हेतु 100 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। सिंचाई में कुल 923.81 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है।

ऊर्जा

17. अध्यक्ष महोदय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फॉसिल ईंधन की बढ़ती हुई मांग एवं इसकी सीमित उपलब्धता को देखते हुए ''ऊर्जा सुरक्षा'' के उपायों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है, जिसके अंतर्गत अपरम्परागत ऊर्जा स्त्रोतों के विकास प्रमुख है। **इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ को ''बायो फ्यूल राज्य'' के**

रूप में विकसित करने की दिशा में हमारे पहल की देश–विदेश में सराहना की जा रही है। राज्य शासन द्वारा बायो फ्यूल विकास हेतु एक महत्वाकांक्षी योजना बनाई गई है। इस वर्ष लगभग 6 करोड़ रतनजोत पौधे कृषकों की अनुपयोगी भूमि एवं शासकीय पड़त भूमि पर रोपित किए गए हैं। **आगामी वर्ष 16 करोड़ रतनजोत पौधे रोपण बाबत् 15 करोड़ का बजट प्रावधान रखा गया है**।

17.1 केन्द्र शासन द्वारा बायो गैस संयंत्र स्थापित करने हेतु दिए जाने वाले अनुदान में उल्लेखनीय कमी कर दी गई है। इसकी पूर्ति के लिए राज्य शासन द्वारा स्वयं के संसाधन से 2 करोड़ अनुदान का प्रावधान किया गया है।

वन एवं पर्यावरण

18. संयुक्त वन प्रबंधन योजना के सुदृढ़ीकरण हेतु वन समितियों के सदस्यों को प्रशिक्षण देने के लिए बजट में 60 लाख का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त वन समितियों को प्रोत्साहन अनुदान बाबत् 9.65 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। प्रदेश में बांस उत्पादन को प्रोत्साहित करने हेतु बैम्बु मिशन के लिए 5 करोड़, बांस वनों के पुनरोत्थान के लिए 4 करोड़, प्रदेश के अभ्यारण क्षेत्र में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने हेतु बारनवापारा के लिए 1.40 करोड़ तथा कोटमी सुनार के लिए 70 लाख का प्रावधान किया गया है।

खाद्य

19. अध्यक्ष महोदय, समर्थन मूल्य पर धान क्रय की नीति से छत्तीसगढ़ की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में लगातार सुधार हुआ है। इस नीति से राज्य शासन को होने वाली राजस्व हानि को नियंत्रित करने के लिए हमने लगातार प्रयास किया है। **जहाँ प्रारम्भिक वर्षों में इस बाबत् राज्य शासन को लगभग**

250 करोड़ की हानि होती थी, हमारी सरकार आने के पश्चात् वर्ष 2004–05 एवं 2005–06 में धान उपार्जन की प्रक्रिया में किए गए सुधारों से विभिन्न मदों में राज्य शासन को होने वाली हानि में उल्लेखनीय कमी करते हुए इसे 100 करोड़ तक सीमित रखने का प्रयास किया गया है। अध्यक्ष महोदय, सदन को यह बताने में मुझे हर्ष हो रहा है कि आगामी वर्ष में इस बाबत् संभावित हानि को 50 करोड़ तक सीमित रखा जाएगा तथा आने वाले वर्षों में इसे और भी कम किया जाएगा। यह हमारी सरकार की महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

ग्रामीण विकास

20. प्रदेश में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के क्रियान्वयन हेतु बजट में राज्यांश के रूप में 60 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

20.1 अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार की अधिकांश ग्रामीण विकास योजनाओं के लिए जिलों का चयन प्रतिव्यक्ति आय के आधार पर किया जाता है। किन्तु कुछ जिले बड़े उद्योगों के कारण सम्पन्न जिले की श्रेणी में तो आ जाते हैं, किन्तु यह सम्पन्नता कुछ लोगों तक ही सीमित होती है, जिसके कारण अधिकांश लोग सम्पन्नता के इन द्वीपों के पास रहने के बावजूद गरीबी के समन्दर में गोते लगाने को विवश होते हैं। **इस विसंगति से उत्पन्न विकास की असमानता को दूर करने के लिए हमने पहली बार बजट में एक विशेष योजना सम्मिलित किया है, जिसके अंतर्गत 5 ऐसे जिले कोरबा, जांजगीर–चांपा, महासमुंद, दुर्ग एवं रायपुर में ग्रामीण अधोसंरचना विकास हेतु राज्य के स्वयं के संसाधनों से 80 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है**। यह राशि विशेष रूप से ग्रामीण आंतरिक मार्गों का कांक्रीटीकरण, आंगनबाड़ी भवनों का निर्माण, उपस्वास्थ्य केन्द्र भवनों का निर्माण तथा अन्य आवश्यक विकास कार्यों के लिए उपयोग किया जाएगा।

<u>ग्रामोत्थान योजना</u>

21. अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार की सहायता से अनेकों ग्रामीण विकास योजनायें संचालित है, लेकिन ये योजनायें सभी राज्यों के लिए एकसमान होने के कारण विशिष्ट स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाती है। इसे ध्यान में रखते हुए हमने पूर्व में कुछ योजनायें प्रारम्भ की है। **<u>इन्हें अधिक सार्थक तथा जनोपयोगी बनाने हेतु ''ग्रामोत्थान योजना'' की परिकल्पना की गई है, जिसके अंतर्गत इन योजनाओं के लिए इस बजट में पर्याप्त आवंटन उपलब्ध कराया जा रहा है तथा कुछ नवीन योजनायें भी प्रारम्भ की जा रही है</u>**। वर्तमान योजनाओं में मुख्यतः बाड़ी डीजल योजना, सस्ती दर पर कृषि ऋण उपलब्ध कराने की योजना, आयोडीनयुक्त नमक वितरण योजना, कृषि पंप अनुदान योजना, शाकम्बरी सिंचाई योजना शामिल है तथा आगामी वर्ष 3 नवीन योजनायें कृषि पंपों का विद्युतीकरण, नाई स्वरोजगार तथा मंगल भवन निर्माण शामिल किया गया है, **<u>जिनके लिए विभिन्न स्त्रोतों से 610.53 करोड़ उपलब्ध कराया जा रहा है</u>**।

<u>उद्योग एवं ग्रामोद्योग</u>

22. जैसा कि मैं पूर्व में उल्लेख कर चुका हूँ, वर्ष 2005–06 की आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार विनिर्माण क्षेत्र में प्रदेश के सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि राष्ट्रीय औसत से अधिक रही है। अब तक राज्य का औद्योगिक विकास मुख्य रूप से स्टील, सीमेंट तथा एल्यूमिनियम तक सीमित रहा है। **<u>अध्यक्ष महोदय, राज्य शासन ने पहली बार अपनी औद्योगिक नीति में प्रदेश में उपलब्ध संसाधनों के ''मूल्य संवर्धन'' पर आधारित उद्योग विकसित करने को प्राथमिकता दी है। इसी नीति के अंतर्गत रायपुर जिले में जेम्स एवं ज्वेलरी तथा अपरेल पार्क, धमतरी जिले में हर्बल पार्क, कोरबा जिले में एल्युमिनियम पार्क एवं दुर्ग, राजनांदगांव जिले में फूड प्रोसेसिंग पार्क</u>**

<u>की स्थापना हेतु निर्णय लिया गया है</u> एवं इसकी कार्ययोजना तैयार करने हेतु बजट में 3 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

22.1 राज्य में संतुलित औद्योगिक विकास के मद्देनजर राजनांदगांव एवं बिलासपुर जिले में औद्योगिक क्षेत्र के विस्तार तथा नवीन औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना हेतु 50 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है। सिलतरा एवं उरला औद्योगिक क्षेत्रों के प्रबंधन हेतु राज्य शासन द्वारा ''पब्लिक–प्रायवेट पार्टनरशिप'' के अंतर्गत एक विशिष्ट संस्था ''इस्पात भूमि'' का गठन किया गया है। राज्य सरकार द्वारा इस संस्था को 10 करोड़ का ब्याज रहित ऋण उपलब्ध कराया जाएगा।

22.2 अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में हस्तशिल्प की अपार संभावनायें है एवं राज्य की अर्थव्यवस्था तथा विदेशी पूंजी अर्जन में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। बस्तर जिले के हस्तशिल्प विशेषकर बेलमेटल, लौह शिल्प एवं मिट्टी शिल्प विश्वविख्यात है। इन शिल्पों के विकास हेतु सामान्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कोंडागांव में ''सामान्य सुविधा केन्द्र'' की स्थापना की जा रही है तथा बांस शिल्प में अधिकाधिक रोजगार के सुअवसर को दृष्टिगत रखते हुए नारायणपुर में बांस शिल्प विकास परियोजना क्रियान्वयन के लिए 1.97 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है।

<u>खनिज संसाधन</u>

23. प्रदेश के खनिज संसाधनों के समुचित विकास हेतु खनिज विकास निगम द्वारा संयुक्त भागीदारी के माध्यम से खनिज उत्खनन नीति तैयार की गई है एवं इस हेतु खनिज निधि से 10 करोड़ उपलब्ध कराने बाबत् बजट प्रावधान किया गया है।

अधोसंरचना विकास

24. अध्यक्ष महोदय, अधोसंरचना विकास को आगामी वर्ष के बजट में समुचित प्राथमिकता दी गई है। चालू वर्ष सड़क, पुल–पुलिया एवं भवन निर्माण हेतु बजट में 935 करोड़ का प्रावधान रखा गया था, जिसमें **ऐतिहासिक 56 प्रतिशत वृद्धि करते हुए वर्ष 2006–07 में 1470 करोड़ का प्रावधान किया गया है। लोक निर्माण विभाग के अब तक के बजट प्रावधानों में यह सर्वाधिक है**। आगामी वर्ष 432 सड़क, 266 पुल तथा 2 रेलवे ओवर ब्रिज के नवीन कार्य बजट में शामिल किए गए हैं।

24.1 प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत गांवों को मुख्य मार्ग से जोड़ने का कार्य तेजी से चल रहा है। लेकिन जिला स्तर पर अधिक से अधिक पूंजी निवेश एवं विकास के लिए जिला स्तर तक के अधोसंरचना का सुदृढ़ीकरण आवश्यक है। **इस दिशा में आगे बढ़ते हुए हमने प्रदेश के ''मुख्य जिला मार्ग'' तथा ''राज्य राजमार्ग'' को चरणबद्ध क्रम से उन्नयन करने की योजना बनाई है**। वर्ष 2006–07 में इस श्रेणी के 9 प्रमुख मार्गों को एशियन डेव्हलपमेंट बैंक की सहायता से उन्नयन किया जाएगा, जिसके लिए बजट में 280 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। **इसके अतिरिक्त आगामी 3 वर्षों में ''पब्लिक प्रायवेट पार्टनरशिप'' के अंतर्गत लगभग 1500 किलोमीटर मार्गों का उन्नयन किया जाएगा**।

24.2 नवीन अधोसंरचना विकास के साथ–साथ हमने विद्यमान सड़कों एवं भवनों के अनुरक्षण के लिए लगभग 300 करोड़ का बजट प्रावधान किया है।

24.3 **अध्यक्ष महोदय, नई राजधानी निर्माण हेतु प्लानिंग का कार्य प्रगति पर है**। रायपुर शहर से नई राजधानी को जोड़ने वाले एक्सप्रेस मार्ग के एलाईनमेंट को अंतिम रूप दिया जा चुका है एवं राज्य स्तरीय कार्यालय

काम्पलेक्स, जिसमें सचिवालय तथा विभाग प्रमुख कार्यालय सम्मिलित है के रूपांकन का कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है। **वर्ष 2006–07 में राजधानी क्षेत्र में अधोसंरचना विकास तथा पर्यावरण सुधार एवं इस हेतु भू–अर्जन के कार्य कराये जायेंगे, जिसके लिए 121 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है**।

नगरीय प्रशासन

25. अध्यक्ष महोदय, राजधानी के अधोसंरचना विकास के साथ–साथ पुराने शहर का नवीकरण एवं गंदी बस्तियों के विकास हेतु केन्द्र सरकार द्वारा पंडित जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन प्रारम्भ किया गया है। इस हेतु आगामी वर्ष के बजट में आवश्यक प्रावधान किया गया है।

25.1 प्रदेश के 110 नगरीय निकायों में मुक्तिधाम निर्माण, झुग्गी बस्तियों एवं व्यस्त क्षेत्रों में 200 सार्वजनिक प्रसाधन निर्माण तथा 65 नगरों में ''प्रतीक्षा बस स्टेंड'' हेतु 20.91 करोड़ की राशि चालू वित्तीय वर्ष में स्वीकृत की गई है। इन्हीं योजनाओं को निरन्तर रखते हुए आगामी वित्तीय वर्ष में भी इतनी ही राशि व्यय किया जाना प्रस्तावित है।

25.2 **बारहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के आधार पर प्राप्त अनुदान राशि से प्रथम चरण में 18 नगरीय निकायों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन लागू किया गया है। आगामी वर्ष में लगभग 15 नगरीय निकायों को इस योजना के अंतर्गत लाया जाना प्रस्तावित है**।

राजस्व प्रशासन

26. अध्यक्ष महोदय, नगरीय क्षेत्रों में आवासहीन परिवारों को आवास उपलब्ध कराने हेतु कई योजनायें है। यद्यपि ग्रामीण क्षेत्रों में आवासहीनों के लिए ''इंदिरा ग्रामीण आवास योजना'' संचालित है। लेकिन इसके अंतर्गत आवंटित लक्ष्य आवासहीन परिवारों की संख्या की तुलना में नगण्य है। इस समस्या को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार द्वारा आवासहीन ग्रामीण परिवारों के लिए ''दीनदयाल ग्रामीण आवास योजना'' प्रारम्भ की जा रही है, जिसके अंतर्गत निःशुल्क भूखण्ड उपलब्ध कराये जायेंगे एवं जिन ग्रामों में शासकीय भूमि उपलब्ध न हो, वहाँ निजी भूमि अर्जित कर पट्टे पर दी जाएगी। इस योजना के क्रियान्वयन के लिए 5 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है।

26.1 शासकीय मंदिरों एवं धर्मशालाओं के मरम्मत एवं रख–रखाव हेतु चालू वर्ष की तुलना में 50 लाख का अधिक बजट प्रावधान किया गया है।

पुलिस प्रशासन

27. नक्सल प्रभावित क्षेत्र सरगुजा में पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध कराने हेतु मैनपाट में पुलिस प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किया जाएगा। प्रदेश में बढ़ती नक्सली गतिविधियों पर नियंत्रण हेतु नवीन भारत रक्षित वाहिनी 12वीं बटालियन की स्थापना की गई है। कांकेर स्थित ''जंगल वारफेयर ट्रेनिंग स्कूल'' का सुदृढ़ीकरण किया जाएगा तथा चंद्रखुरी में नवीन पुलिस प्रशिक्षण अकादमी की स्थापना की जाएगी।

27.1 प्रदेश के नक्सली प्रभावित क्षेत्रों में 7 नवीन थाना एवं 11 चौकी स्थापित की जाएगी। पुलिसकर्मियों के आवास व्यवस्था हेतु इस बजट में विशेष प्रावधान किए गए हैं।

जेल प्रशासन

28. जिला जेल दुर्ग को केन्द्रीय जेल में उन्नयन किया जाएगा। प्रदेश के नक्सल प्रभावित जिलों के जेलों में सुरक्षा की दृष्टि से वॉच टॉवर निर्माण तथा ऊँची बाऊण्ड्री वाल के निर्माण हेतु 4 करोड़ का प्रावधान किया गया है। केन्द्रीय जेल, रायपुर में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में विडियो कान्फ्रेंसिंग प्रणाली लागू की जाएगी, जिसके फलस्वरूप विचाराधीन कैदियों को पेशी पर न्यायालयों में प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी।

न्याय प्रशासन

29. प्रदेश के विभिन्न न्यायालयों में लंबित प्रकरणों की संख्या को ध्यान में रखते हुए कांकेर, धमतरी, महासमुंद, जांजगीर–चांपा तथा कोरिया में नवीन सिविल जिला न्यायालय स्थापित किये जायेंगे। इसके अतिरिक्त वैकल्पिक न्याय व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु रायपुर, बिलासपुर एवं जगदलपुर में स्थाई लोक अदालत स्थापित किए जाएंगे। इस हेतु 3 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है।

ई–गवर्नेंस

30. अध्यक्ष महोदय, मुझे सदन को यह सूचित करते हुए हर्ष हो रहा है कि इस वर्ष प्रारम्भ किए गए **कोषालय कम्प्यूटरीकरण योजना ''ई–कोष'' को जनवरी, 2006 में ''राजस्व सेवाओं में सूचना प्रोद्योगिकी के उपयोग'' की श्रेणी में राष्ट्रीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ प्रोजेक्ट मान्य करते हुए ''ओरेकल ई–गवर्नेंस एक्सीलेंस अवार्ड'' से पुरस्कृत किया गया है**। आगामी वर्ष ई–कोष का विस्तार किया जाकर सभी बैंको तथा महालेखाकार कार्यालय से जोड़ा जाएगा।

30.1 राज्य शासन द्वारा भारत सरकार की सहायता से प्रदेश के सभी 146 विकासखंडों को वाईड एरिया नेटवर्क से जोड़ा जाएगा, जिसके अंतर्गत विकासखंड स्तर तक के सभी कार्यालयों में ''हाईस्पीड नेट कनेक्टिविटी'' सुविधा उपलब्ध करायी जाएगी। इस परियोजना पर आगामी 5 वर्षों में 91 करोड़ व्यय होगा, जिसमें राज्यांश 40 करोड़ होगा।

परिव्यय बनाम परिणामी बजट

31. पारम्परिक बजट व्यय के प्रावधानों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता रहा है। अब हम आगामी वर्ष से व्यय के प्रावधानों के साथ–साथ योजनाओं के लिए लक्ष्य निर्धारित करते हुए ''परिणामी बजट'' की अवधारणा को कुछ क्षेत्रों में लागू करने जा रहे हैं। इससे विभिन्न योजनाओं हेतु निर्धारित लक्ष्य की समीक्षा की जा सकेगी तथा योजनाओं पर होने वाले व्यय की गुणवत्ता एवं उत्तरदायित्व निर्धारण भी सुनिश्चित किया जा सकेगा।

वर्ष 2005–06 का पुनरीक्षित अनुमान

32. अध्यक्ष महोदय, अब मैं वर्ष 2005–06 के पुनरीक्षित अनुमान के आंकड़े सदन के समक्ष प्रस्तुत करना चाहूँगा।

32.1 वर्ष 2005–06 में कुल व्यय 10,217.94 करोड़ अनुमानित था जो कि पुनरीक्षित अनुमान में बढ़कर 10,740.20 करोड़ संभावित है। इसका मुख्य कारण बारहवें वित्त आयोग की अनुशंसा पर प्राप्त होने वाली राशि के व्यय हेतु प्रावधान तथा राजस्व आयोजना व्यय में वृद्धि है।

32.2 राजस्व प्राप्ति का बजट अनुमान 7,881.17 करोड़ की तुलना में पुनरीक्षित अनुमान में 9,384.43 करोड़ अनुमानित है। राजस्व प्राप्ति में यह वृद्धि मुख्यतः

राज्य के कर राजस्व में उल्लेखनीय वृद्धि, केन्द्रीय करों के हिस्से तथा विभिन्न योजनाओं हेतु केन्द्रीय अनुदान में अतिरिक्त राशि प्राप्त होने की संभावना के कारण है।

32.3 **वर्ष 2005–06 के बजट अनुमान में अनुमानित राजस्व घाटा 251.14 करोड़ की तुलना में पुनरीक्षित अनुमान में 781.76 करोड़ का राजस्व आधिक्य संभावित है**। इसका मुख्य कारण बजट अनुमान के विरूद्ध वास्तविक राजस्व प्राप्तियों में 19 प्रतिशत वृद्धि है। इसके फलस्वरूप राजकोषीय घाटा का बजट अनुमान 2,305.34 करोड़ से घटकर पुनरीक्षित अनुमान में 1,314.91 करोड़ संभावित है। **राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद के 5.2 प्रतिशत से घटकर पुनरीक्षित अनुमान में लगभग 3 प्रतिशत संभावित है, जो कि राजकोषीय उत्तरदायित्व अधिनियम के निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप है**।

वर्ष 2006–07 का बजट अनुमान

33. अध्यक्ष महोदय, अब मैं वर्ष 2006–07 के लिये बजट अनुमान प्रस्तुत करने जा रहा हूँ :–

33.1 **वर्ष 2006–07 के लिये कुल व्यय 12,309.80 करोड़ है, जिसमें आयोजनेत्तर व्यय 6,739.81 करोड़ तथा आयोजना व्यय 5,569.99 करोड़ है**। वर्ष 2005–06 के पुनरीक्षित अनुमान की तुलना में कुल व्यय 1,569.60 करोड़ अधिक है।

33.2 किसी भी राज्य की राजकोषीय स्थिति उसके आर्थिक विकास पर निर्भर करती है। इसे ध्यान में रखते हुये वर्ष 2006–07 में पूंजीगत व्यय पर विशेष जोर दिया गया है तथा **वर्ष 2005–06 के पुनरीक्षित अनुमान**

1,762.64 करोड़ की तुलना में आगामी बजट में इस मद में 2,631.50 करोड़ अर्थात् 868.86 करोड़ की वृद्धि अनुमानित की गई है। पूंजीगत व्यय सकल घरेलू उत्पाद का 5.4 प्रतिशत तथा कुल व्यय का 21 प्रतिशत अनुमानित है।

33.3 राज्य के विकास की गति को और आगे बढ़ाते हुये वर्ष 2006–07 में **आयोजना व्यय में वर्ष 2005–06 के पुनरीक्षित अनुमान की तुलना में 19 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। आयोजना व्यय कुल व्यय का 45 प्रतिशत अनुमानित किया गया है, जो कि वर्ष 2005–06 की तुलना में 3 प्रतिशत अधिक है**। विकास की दिशा में यह एक स्वस्थ संकेतक है।

33.4 गैर विकासोन्मुखी व्यय को सीमित रखा गया है। आयोजनेत्तर राजस्व व्यय, वर्ष 2005–06 के पुनरीक्षित अनुमान 6,037.25 करोड़ की तुलना में वर्ष 2006–07 में 6,711.61 करोड़ अनुमानित है। इसमें वेतन, भत्ते हेतु 2,264 करोड़, पेंशन हेतु 699.14 करोड़, ब्याज हेतु 1,148.24 करोड़, प्रमुख आर्थिक सहायता हेतु 150 करोड़ तथा विभिन्न संस्थाओं को दिये जाने वाले अनुदान हेतु 1,010.87 करोड़ सम्मिलित है। **विगत वर्षों के ब्याज भुगतान एवं कुल राजस्व प्राप्तियों का औसतन अनुपात 15 प्रतिशत से घटाकर 11 प्रतिशत पर सीमित किया गया है**।

33.5 **राज्य आयोजना व्यय में वर्ष 2005–06 के पुनरीक्षित अनुमान 4,097.47 करोड़ की तुलना में 22 प्रतिशत की वृद्धि की जाकर 4996.06 करोड़ अनुमानित की गई है**, जिसमें केन्द्रीय सहायता 876.94 करोड़ तथा शेष 4119.12 करोड़ राज्य के स्वयं के संसाधनों से उपलब्ध कराई जाएगी। राज्य आयोजना संसाधन में राजस्व आधिक्य का प्रतिशत गत वर्षों में 7 प्रतिशत से बढ़कर 40 प्रतिशत हो गया है। **इससे यह स्पष्ट है कि राज्य का आयोजना मुख्य रूप से स्वयं के संसाधन से पोषित है**।

33.6 राज्य में अधोसंरचना विकास के साथ–साथ सामाजिक क्षेत्र के विकास का भी पर्याप्त ध्यान रखा गया है। आगामी बजट में चालू वर्ष की तुलना में 24 प्रतिशत अधिक प्रावधान किया गया है, जिसमें मुख्यतः स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल तथा सामाजिक कल्याण शामिल है।

33.7 राज्य के आर्थिक क्षेत्र में वर्ष 2005–06 के पुनरीक्षित अनुमान की तुलना में 24 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित की गई है। इसमें मुख्य रूप से सड़क, पुल–पुलिया तथा भवन निर्माण हेतु 1,457 करोड़ का बजट अनुमान सम्मिलित है।

33.8 **वर्ष 2006–07 के लिये कुल राजस्व प्राप्तियाँ 10,797.18 करोड़ अनुमानित है जो कि चालू वर्ष के पुनरीक्षित अनुमान से 15 प्रतिशत अधिक है। कर राजस्व तथा सकल घरेलू उत्पाद का अनुपात 11 प्रतिशत से बढ़कर 16 प्रतिशत हो गया है। इसी प्रकार राज्य के स्वयं के राजस्व तथा सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात में लगभग 2 प्रतिशत वृद्धि की जाकर 13 प्रतिशत अनुमानित की गई है**। राज्य के स्वयं के राजस्व में पुनरीक्षित अनुमान की तुलना में 15 प्रतिशत वृद्धि अनुमानित की गई है, जिसमें कर राजस्व में 16 प्रतिशत तथा करेत्तर राजस्व में 11 प्रतिशत की वृद्धि शामिल है। केन्द्र से प्राप्तियाँ चालू वर्ष की तुलना में 594.06 करोड़ अधिक अनुमानित की गई है। कुल व्यय का 51 प्रतिशत हिस्सा राज्य के स्वयं के राजस्व से पोषित हो रहा है, जबकि गत वर्षों में यह औसतन 46 प्रतिशत था।

राजकोषीय स्थिति

34. अध्यक्ष महोदय, कर प्रयासों में सुधार तथा कर प्रणाली को अधिक प्रभावी बनाने की प्रक्रिया के फलस्वरूप राज्य के कर राजस्व में निरंतर वृद्धि हुई है।

माननीय सदस्यगण को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि **इन्हीं प्रयासों के कारण पहली बार राज्य में राजस्व आधिक्य का बजट अनुमान प्रस्तुत किया जा रहा है। वर्ष 2006–07 में 1,199.91 करोड़ का राजस्व आधिक्य अनुमानित किया गया है**।

34.1 राज्य का वित्तीय घाटा 1,438.75 करोड़ अनुमानित किया गया है जो कि सकल घरेलू उत्पाद का 3 प्रतिशत है। **मुझे यह कहते हुये हर्ष हो रहा है कि पूंजीगत व्यय में 49 प्रतिशत तथा आयोजना व्यय में 19 प्रतिशत की वृद्धि के बावजूद सकल वित्तीय घाटा राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंध अधिनियम में दिए गए लक्ष्य के अनुरूप है**।

34.2 वर्ष 2006–07 हेतु कुल प्राप्तियाँ 12,223.76 करोड़ तथा कुल व्यय 12,309.80 करोड़ अनुमानित किया गया है। **इन वित्तीय संव्यवहारों के फलस्वरूप 86.04 करोड़ का शुद्ध घाटा अनुमानित है। वर्ष 2005–06 के पुनरीक्षित अनुमान में संभावित घाटे 137.18 करोड़ को शामिल करते हुये वर्ष 2006–07 का कुल बजटीय घाटा 223.22 करोड़ अनुमानित है**। इस घाटे की पूर्ति वित्तीय अनुशासन तथा अतिरिक्त आय के संसाधन जुटाकर की जावेगी।

भाग – 2

35. अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2005–06 का बजट प्रस्तुत करते हुये मैंने स्पष्ट किया था कि राज्य शासन द्वारा 1 अप्रैल, 2005 से ''वैट'' लागू करने की पूर्ण तैयारी कर ली गई थी, परन्तु भारत सरकार की ओर से केन्द्रीय विक्रय कर समाप्ति की स्थिति में राजस्व हानि की प्रतिपूर्ति के संबंध में सुस्पष्ट नीति घोषित नहीं होने के कारण यह नई कर प्रणाली लागू नहीं की गई थी। अब इस विषय पर राज्यों के वित्त मंत्रियों की सशक्त समिति में आम सहमति बन रही है।

36. **इस परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार द्वारा 1 अप्रैल, 2006 से प्रदेश में प्रचलित ''वाणिज्यिक कर'' के स्थान पर नई कर प्रणाली ''वैट'' लागू करने का निर्णय लिया गया है, ताकि पूरे देश में एकसमान कर व्यवस्था हो**। भारत सरकार से हमारी यह अपेक्षा रहेगी कि सशक्त समिति की अनुशंसाओं के अनुरूप केन्द्रीय विक्रय कर की दर में कमी से राज्यों के राजस्व आय में होने वाली हानि की प्रतिपूर्ति करें।

37. आम उपभोक्ताओं के उपयोग तथा स्थानीय महत्व के सामग्रियों पर ''वैट'' दर में निम्नानुसार संशोधन प्रस्तावित करता हूँ :–

- अगरबत्ती एवं धूप तथा नारियल पर वैट दर 4 प्रतिशत से घटाकर करमुक्त किया जाना।
- आटा, मैदा, सूजी, बेसन, चूनी, चोकर, दलिया पर वैट दर 4 प्रतिशत से करमुक्त श्रेणी में लाया जाना।
- चपड़ा, लाख, कित्ती को 12.5 प्रतिशत से घटाकर करमुक्त किया जाना।

- कोसायार्न तथा सभी प्रकार के कुकुन को 4 प्रतिशत की श्रेणी से करमुक्त श्रेणी में लाया जाना।
- सभी किराना सामग्री को 4 प्रतिशत की श्रेणी में रखा जाना।
- लघु वनोपज को 12.5 प्रतिशत से घटाकर 4 प्रतिशत की श्रेणी में लाया जाना।
- चरोटा बीज, आमगिरी, रजका बीज, बबूल बीज तथा बबूल बीज पावडर को किराना वस्तुओं की सूची में सम्मिलित करते हुए 4 प्रतिशत की श्रेणी में लाया जाना।
- फलाईएश ब्रिक्स को 4 प्रतिशत से घटाकर कर मुक्त श्रेणी में लाया जाना।
- प्रदेश में विद्युत अधोसंरचना के विस्तार तथा ग्रामीण विद्युतीकरण के लक्ष्य को देखते हुए इलेक्ट्रिकल वायर तथा केबल पर वैट की दर 12.5 प्रतिशत से घटाकर 4 प्रतिशत किया जाना।

प्रवेश कर

38. अध्यक्ष महोदय, प्रवेश कर की दरों में निम्नानुसार युक्तियुक्तकरण प्रस्तावित करता हूँ :–

- **शक्कर पर देय प्रवेश कर का युक्तियुक्तकरण करते हुए प्रचलित दर 1 प्रतिशत को घटाकर 0.25 प्रतिशत किया जाना प्रस्तावित है**। इससे कर अपवंचन की प्रवृत्ति पर रोक लगेगी तथा राजस्व में वृद्धि संभावित है।

- पान मसाला पर प्रचलित वाणिज्यिक कर की दर 23 प्रतिशत है, जबकि वेट के अंतर्गत यह 12.5 प्रतिशत की श्रेणी में आएगा। अतः पान मसाला पर प्रचलित प्रवेश कर की दर 1 प्रतिशत को बढ़ाकर 10 प्रतिशत करना प्रस्तावित है।

- वर्तमान में स्थानीय रि–रोलिंग मिलों के लिए विशेष पैकेज की सुविधा प्राप्त है, जिसके अंतर्गत कच्चा माल पर 2 प्रतिशत कर देने से निर्मित उत्पाद करमुक्त है, किन्तु उसकी ट्रेडिंग पर 1.5 प्रतिशत प्रवेश कर देय है। वैट लागू होने से यह विशेष पैकेज की सुविधा समाप्त हो जाएगी एवं लौह एवं इस्पात की अन्य वस्तुओं के समान 4 प्रतिशत वैट देय होगा। **अतः प्रदेश के रि–रोलिंग मिलों को प्रतिस्पर्द्धात्मक बनाये रखने के उद्देश्य से रि–रोल्ड प्रोडक्ट पर देय प्रवेश कर समाप्त किया जाना प्रस्तावित है**।

- स्थानीय उद्योग को प्रतिस्पर्द्धात्मक बनाने के उद्देश्य से प्रदेश के बाहर से आयातित एच.डी.पी.ई. तथा पी.पी. बेग्स पर 5 प्रतिशत की दर से प्रवेश कर अधिरोपित किया जाना प्रस्तावित है।

वृत्ति कर

39. अध्यक्ष महोदय, हमारे संकल्प के अनुरूप गत वर्ष वृत्ति कर के छूट की सीमा 1 लाख से बढ़ाकर 1.5 लाख की गई थी, जिसे चालू वित्तीय वर्ष के बजट में 2 लाख किया गया था। **सदन को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि इस बजट में वृत्ति कर की वर्तमान सीमा 2 लाख से बढ़ाकर 2.5 लाख किया जाना प्रस्तावित है। इससे लगभग 5 करोड़ की राजस्व हानि होगी, किन्तु 20,000 से अधिक वेतनभोगी कर्मचारी लाभान्वित होंगे**।

मुद्रांक एवं पंजीयन

40. कृषि प्रयोजनार्थ अनुसूचित जनजाति एवं जाति के सभी भूमि धारकों तथा अन्य वर्गों के 10 हेक्टेयर तक के भूमि धारकों द्वारा बैंको से ऋण लिए जाने पर निष्पादित बंधक विलेख अथवा आडमान विलेखों पर स्टॉम्प शुल्क की पूर्ण छूट वर्तमान में प्रचलित है। सभी कृषकों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से प्रस्तावित है कि छूट का विस्तार करते हुए लाभ सभी कृषकों को भूमि की सीमा के बिना दिया जाकर 10 लाख तक की ऋण राशि के विरूद्ध निष्पादित बंधक एवं आडमान विलेखों पर स्टॉम्प शुल्क की पूर्ण छूट दी जाए तथा 10 लाख से अधिक ऋण राशि के बंधक तथा आडमान विलेखों पर प्रतिभूत की जाने वाली रकम का 1 प्रतिशत की दर से मुद्रांक शुल्क अधिरोपित किया जाए। इससे शासन को राजस्व हानि नगण्य होने की संभावना है।

40.1 वर्तमान में कंपनियों के समामेलन अथवा पुनर्गठन के मामलों में राज्य में स्थित अंतरित संपत्ति पर स्टॉम्प शुल्क सारणी के प्रावधानों के अधीन 7.5 प्रतिशत की दर से मुद्रांक शुल्क देय है। अत्यधिक शुल्क के भार से कंपनियों को समामेलन एवं पुनर्गठन के मामलों में दस्तावेज निष्पादन में कठिनाई हो रही है। अतः छत्तीसगढ़ जैसे छोटे नवगठित राज्य के औद्योगिक विकास को दृष्टिगत रखते हुए किसी एक दस्तावेज पर स्टॉम्प शुल्क की अधिकतम सीमा 10 करोड़ निर्धारित किया जाना प्रस्तावित है। इससे शासन को कोई राजस्व हानि नहीं होगी।

41. अध्यक्ष महोदय, मुझे विश्वास है कि बेहतर कर प्रशासन तथा वित्तीय अनुशासन के माध्यम से हम राज्य के वित्तीय संतुलन को बनाये रखने में सक्षम होंगे तथा विकास के लिए बजट में तय किए गए मानकों को हासिल करने में सफल होंगे। इस विश्वास के साथ मैं वर्ष 2006–07 का वार्षिक वित्तीय विवरण तथा अनुदान की मांगें सदन के समक्ष प्रस्तुत करता हूँ।